न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/23

हजारी लाल आयु 57 वर्ष आत्मज श्री फून्दी लाल जाति मेघवाल निवासी छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

नगरपालिका बून्दी वर्तमान में नगर परिषद बून्दी जरिये –
1. चेयरमेन नगर परिषद, बून्दी ।
2. आयुक्त, नगर परिषद, बून्दी

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रघुवीर सिंह राणावत, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम छत्रपुरा तहसील व जिला बून्दी की आराजी खसरा नम्बर 143 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी उक्त भूमि पर वर्षो से काबिज चला आ रहा है । प्रार्थी बगीची पर खातेदार की हैसियत से काबिज है । अप्रार्थीगण प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी तथा बगीची रिहायशी मकानात व पेडों को न तो ध्वस्त करे और न ही प्रार्थी के उपयोग व उपभोग में बाधा पहुंचाये ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से बावजूद सूचना के उपस्थित नही आने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अपीलान्ट का उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से अर्थात् 80–90 वर्षों से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है । उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट को अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस भी दिये गये हैं जिससे साबित है कि उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज है । बून्दी नगरपालिका की नामावली सर्वे लिस्ट में प्रार्थी अपीलान्ट का भी नाम है । नगरपालिका को अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली का वाद प्रस्तुत करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्तागण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट के पक्ष में होना नहीं माना था तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना भी अपीलान्ट के पक्ष में होना नहीं माना है ।

9. चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपना कब्जा होना कथन किया है और उक्त भूमि पर अपीलान्ट को कब्जा होने से भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस भी दिये गये हैं । नगरपालिका बून्दी द्वारा किये गये सर्वे में भी अपीलान्ट ने स्वयं का नाम होना कथन किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों को अपने निर्णय में

नहीं देखा है । इस प्रकार हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पैरा नं0 09 में किये गये विवेचन को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 20.12.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा